सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने कलेक्टर-एसपी ने दिए कड़े निर्देश

सड़क दुर्घटना में 4 हजार मौतें, प्रदेश में सबसे आगे जबलपुर

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता पर कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के निर्देश पर बुलाई गई इस बैठक में शहर के स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थानों और पेट्रोल पंप संचालकों ने भाग लिया। कलेक्टर ने स्कूलों से 15 दिनों के भीतर बसों और ड्राइवरों की फिटनेस रिपोर्ट सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर निजी स्कूलों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। किसी भी छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर संबंधित संस्था को जिम्मेदार माना जाएगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में जबलपुर का स्थान ऊँचा है। हर साल लगभग 4,000 दुर्घटनाएँ होती हैं और इस वर्ष 523 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 246 मौतें सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण हुईं। हर महीने लगभग 25 लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट हर हाल में लगाना चाहिए। सभी संस्थानों से आग्रह किया गया कि वे विद्यार्थियों को यातायात सुरक्षा के बारे में जागरूक करें, अभिभावकों तक संदेश पहुँचाएँ और वाहन फिटनेस पर सहमति-पत्र भी भरवाएँ।

बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं, पंपों को चेतावनी

पेट्रोल पंप संचालकों से कहा गया कि बिना हेलमेट पेट्रोल न दें। यदि कोई पंप अभियान में सहयोग नहीं करता पाया गया, तो प्रशासन द्वारा पंप सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

ई-रिक्शा और गैसकिट वाहनों पर निगरानी

एसपी उपाध्याय ने ई-रिक्शा और एलपीजी गैसकिट लगे वाहनों पर नियंत्रण के निर्देश देते हुए कहा कि सीट बेल्ट-हेलमेट को आदत बनाना जरूरी है। शहर के ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्थाएँ मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए। एएसपी ट्रैफिक अंजना तिवारी ने बताया कि चालानी कार्यवाही सुधारात्मक है, लेकिन जीवन बचाने के लिए सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाना आवश्यक है। उन्होंने सभी चालकों को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करने की बात कही।

शहर में चौंतरफा अतिक्रमण हटाने कार्रवाई

जबलपुर। निगम की अतिक्रमण टीम ने शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों और निर्माणाधीन मार्गों पर फैले अस्थाई कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अभियान की शुरुआत खिन्नी बस्ती से हुई, जहाँ सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे सभी अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया गया, जिससे निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद, निगम की टीम ने शहर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों का रुख किया। कार्रवाई के दौरान पनेरा पेट्रोल पंप के सामने से लेकर लॉर्डगंज, बड़ा फुहारा, और कमानिया गेट होते हुए पांडेय चौक तक सड़क किनारे फैले सभी ठेले, खोखे और अस्थाई गुमटियों को जब्त कर हटाया गया। इसके अलावा, शंकर जी भंडार से बलदेव बाग होते हुए बड़ा पत्थर तक के मार्ग को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटने से फुटपाथ और सड़क की चौड़ाई बढ़ गई है, जिससे आम नागरिकों और वाहनों के आवागमन में काफी सुधार आया है। इसके अलावा ठेले टपरे में लाइट कनेक्शन भवन स्वामियों द्वारा दिया गया है, उनको भी काटने की कार्यवाही की जा रही है। कार्रवाई के दौरान दल प्रभारी कुलदीप त्रिपाठी, अभिषेक समुद्रे, लक्ष्मण कोरी, वीरेंद्र मिश्रा, अंकित पारस सहित नगर निगम का पूरा अतिक्रमण दस्ता और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया।

इंद्राना में अवैध धान, मक्का भंडारण, वेयरहाउस हुआ सील

8157 बोरी धान और 420 बोरी मक्का जब्त, कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही

नवभारत,जबलपुर। किसानों की आड़ में धान उपार्जन व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने की कोशिशों पर सख्ती से लगाम लगाने के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर लगातार कार्यवाही करते हुए धान भंडारित करने वाली गोदामों को सील किया जा रहा है। इसी क्रम में तहसील मझौली के ग्राम इंद्राना में जय सियाराम वेयरहाउस में अवैध धान और मक्का भंडारण पाए जाने पर वेयरहाउस को सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार संचालक काजू बर्मन के वेयरहाउस में कुल 8157 बोरी धान और 420 बोरी मक्का अवैध रूप से रखा मिला। जिसके बाद जांच दल द्वारा कार्यवाही करते हुए वेयरहाउस को तुरंत सील कर दिया गया और मौके पर पंचनामा तैयार किया गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार के अवैध भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मझौली राजेश मिश्रा, राजस्व निरीक्षक लखन पटेल और हल्का पटवारी संदीप यादव मौजूद रहे।

धान का भंडारण मिलने पर तीन गोदाम सील

वहीं अतिरिक्त तहसीलदार बरेला शशांक दुबे के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा शुक्रवार को ग्राम कुरारी एवं उमरिया स्थित अनाज के तीन निजी गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया। जहां धान का भंडारण पाये जाने पर एवं गोदाम मालिक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ प्रदर्शित नहीं करने के कारण तीनों गोदामों को सील कर दिया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों की कार को ट्रक ने मारी टक्कर

जबलपुर। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत तक्ष होटल के सामने प्रशासनिक अधिकारियों की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसेमें अधिकारी घायल हुए। वहीं ट्रक को छोड़कर चालक भाग गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक राम कुमार पटेल जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर नरसिंहपुर में पदस्थ है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जय कुमार गुप्ता के साथ कार वैगनआर क्रमांक एमपी 20 जेडएम 3468 से जबलपुर आ रहे थे। कार राम कुमार स्वयं चला रहे थे जय कुमार गुप्ता बाजू वाली सीट पर

एसपी ने दरबार लगा सुनी समस्याएं, बोले ट्रैफिक व्यवस्था

परेड ग्राउंड पर स्कॉड ड्रिल, इन्सास राइफल, पिस्टल खोलने, जोड़ने का कराया अभ्यास

जबलपुर, नवभारत। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा पुलिस लाईन्स स्थित परेड ग्राउंड जनरल परेड का निरीक्षण किया गया। रक्षित निरीक्षक जय प्रकाश आर्य द्वारा सलामी दी गयी, तत्पश्चात परेड प्रारम्भ हुई। अच्छे टर्नआउट वाले कर्मचारियों को पुरुस्कृत किया गया। इसके बाद एसपी ने प्लाटूनों द्वारा की गयी अलग-अलग ड्रिल व आर्म्ड ड्रिल एवं यातायात प्लाटून द्वारा की गयी मैनुअल यातायात संकेत ड्रिल को देखा गया, साथ ही अधिकारी,कर्मचारियों से करवाई गयी।परेड ग्राउड पर उपस्थित अधिकारी,कर्मचारियों से इन्सास राईफल, पिस्टल खोलने एवं जोड़ने का अभ्यास कराया गया। एसपी ने यातायात मालवीय चौक, यातायात गढ़ा एवं यातायात घमापुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दरबार लेते हुये अच्छी यातायात व्यवस्था करने निर्देश देते हुये सभी से चर्चा करते हुये यातायात व्यवस्था में कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, इसके सम्बंध में जानकारी ली। सभी को निर्देशित किया कि यातायात सुगमता से चलता रहे, यह हमारा प्रयास होना चाहिये। इस दौरान यातायात कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। जनरल परेड पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुश्री अंजना तिवारी, सहित जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी शहर, देहात सहित थानो से लगे 125 अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

टिकट जांच से 42.14 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त

जबलपुर। जबलपुर रेल मंडल द्वारा यात्री गाड़ियों में संचालित सघन टिकट जाँच अभियान के उत्कृष्ट परिणाम सामने आए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के 08 महीनों 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 के दौरान वाणिज्य विभाग की टीम ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए कुल 5 लाख 77 हजार से अधिक अनियमित बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा, जिनसे कुल 42.14 करोड़ रुपये का राजस्व रेलवे को प्राप्त हुआ मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा के प्रभावी मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा के नेतृत्व में टिकट चेकिंग स्टाफ एवं वाणिज्य विभाग की टीम द्वारा मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं यात्री गाड़ियों में निरंतर और लक्षित जाँच अभियान चलाए गए। इन अभियानों में यात्री सुरक्षा, राजस्व संरक्षण तथा अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

कुर्मी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी, भड़का आक्रोश

आरोपी पर कार्रवाई की लेकर एसपी आफिस का घेराव

नवभारत, जबलपुर। कुर्मी क्षत्रिय समाज जिला समिति जबलपुर ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। समिति ने बताया कि रहली, जिला सागर के निवासी मुरारी पांडे नामक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से सोशल मीडिया पर कुर्मी पटेल समाज के प्रति आपत्तिजनक एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे समाज के लोग आहत हैं। समाज के पदाधिकारियों ने अपने ज्ञापन में कहा कि यह मामला केवल एक समाज के सम्मान से जुड़ा नहीं है, बल्कि ऐसी गतिविधियाँ सामाजिक समरसता और सौहार्द को भी प्रभावित कर सकती हैं। समिति के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है, किंतु समाज ने मांग की है कि आरोपी पर कठोर धाराएँ लगाई जाएँ तथा उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी जाति या समाज को लक्षित कर सामाजिक वातावरण को दूषित न कर सके। इस मौके पर कुर्मी विवेक चौधरी (जिला अध्यक्ष), शैलेंद्र पटेल (युवा संगठन अध्यक्ष), सुरेश पटेल (प्रदेश पदाधिकारी), नारायण सिंह पटेल, राजेश पटेल (प्रदेश उपाध्यक्ष), अटल पटेल (प्रदेश सचिव), कैप्टन ओपी सचान, विराग पटेल (महासचिव), आदेश पटेल एवं अंकित पटेल (महासचिव युवा संगठन) श्याम मनोहर पटेल, बेडीलाल पटेल, एडवोकेट विष्णु पटेल, राजेश पटेल, दशरथ पटेल, डॉ सुरेश पटेल, यज्ञसेन पटेल, ओमप्रकाश पटेल, एडवोकेट रूपेश पटेल, एडवोकेट सूर्य कुमार पटेल, सुरेन्द्र पटेल, दिनेश पटेल, पवन पटेल, धनेश पटेल, दिनेश पटेल, बसोरी पटेल, जीवन पटेल, घनश्याम पटेल, नवीन पटेल, के एल पटेल, मनोज पटेल, गुलाब पटेल, पवन पटेल, अमन पटेल, राहुल सिंह पटेल सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी शामिल रहे।

शिविर में 260 लोगों के कराई नेत्रों की जांच

नवभारत,बेलखाडू(जबलपुर)। नगना मुख्य मार्ग पर स्थित सरयू स्कूल के प्रांगण में नेत्र जांच शिविर का आयोजन नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ पवन स्थापक एवं उनकी टीम की उपस्थिति में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 तक आयोजित किया गया। डॉ पवन स्थापक द्वारा लगभग 260 लोगों के नेत्रों की जांच की जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल रहे। लगभग 30 लोगों का नि:शुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। कुछ को चश्मा लगाने की सलाह दी गई। शिविर दौरान इस अवसर पर प्रमुख रूप से रविन्द्र राठी, सुनील जसूजा, रिद्धिश मिश्रा, प्रांजल जैन सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे।

दिव्यांग खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता

नवभारत,पनागर। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल एवं जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर के निर्देशानुसार शासकीय कन्या हाई स्कूल पनागर में विकासखंड स्तरीय दिव्यांग खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुई। चित्रकला, रंगोली, 100 मीटर दौड़, नींबू-चम्मच दौड़, जलेबी दौड़ और गायन में छात्रों ने बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक संचालक सोनम कटारे एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। समापन पर सोनम कटारे (बीईओ), उत्कृष्ट प्राचार्य तृप्ति सेंगर, एवं हरमेश सेन (प्रभारी बीआरसी) ने विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए और विजेताओं को शील्ड प्रदान की। आयोजन में नरेश कुमार पटेल, विनोद कुमार पटेल , विनोद पाटिल, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, दुष्यंत श्रीवास्तव, शहेंमत कुमार प्रजापति, लक्ष्मण दास तिवारी, सहित सभी शिक्षकों का विशेष योगदान रहा।

विकलांग दिवस पर खेलकूद प्रतियोगिताएंआयोजित

नवभारत, मझौली। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकासखंड मझौली में बच्चों के लिए विविध खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय शंभू स्टेडियम परिसर में किया गया, जिसमें कुल 70 दिव्यांग बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्या दिनेश चौरसिया जनपद पंचायत मझौली, राजेश सिंह जिला सदस्य अध्यक्ष , शिप्रा राजेंद्र चौरसिया, अध्यक्ष नगर परिषद मझोली, सहायक संचालक अतुल चौधरी, प्राचार्य अनिल कुमार पीटर, इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा किया गया। इसके पश्चात विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हेतु प्रमाण पत्र, मेडल एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। विशेष पहल के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित सभी दिव्यांग प्रतिभागियों को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। विजय पटेल, सुमिता दीवान, कुलदीप निगम, महेंद्र दहिया, सुखनंदी भट्ट, कामना ठाकुर, सीएसी राकेश कनौजिया, ब्रजेश यादव आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान, जिला शिक्षा केन्द्र, नरसिंहपुर
पुराना बी.टी.आई.छात्रावास, कलेक्ट्रेट के पीछे, डाइट परिसर, नरसिंहपुर .
फोन 07792-2332 email-zsknarmp22@gmail.com
क्र/ 2257/जिशि.के/स्था./2025 नरसिंहपुर दिनाँक- 03/12/2025

निविदा

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र नरसिंहपुर में आउटसोर्सिंग के आधार पर उच्च कुशल, कुशल एंव अर्द्धकुशल मेनपॉवर की सेवाएं लेने हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु एम.पी.ई-टेण्डर पोर्टल पर टेण्डर आईडी 2025_RSK_465108_1 से जारी की गई है। जिसमें इच्छुक निविदाकर्ताफर्म आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18/12/2025 को शाम 06:00 बजे तक कर सकते हैं। चाहे गये मेंनपॉवर सम्बन्धी निविदा की शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र नरसिंहपुर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र नरसिंहपुर
जी-22291/25

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील आधारताल, जबलपुर
रा.प्र.क्रं./3489/अ-6/2025-2026
जबलपुर दिनांक- 05.12.2025 **// आम इश्तहार //**

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता ग्राम/ नजूल ब्लॉक नं. करमेता तहसील अधारताल जिला जबलपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक होशियार सिंह ठाकुर पिता सुमेर सिंह ठाकुर जाति.. निवासी- 53/3 वार्ड नं. 10, ग्राम काल्हैया खुर्द बहोरीबंद के द्वारा ग्राम करमेता बंदोबस्त नं. 457 प.ह.नं. 78 नजूल प्लाट नं.. में स्थित खसरा नं. 24/1 रकवा क्रमशः 0.146 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 50 आईजीआर 17582025 ए दिनांक 29/08/2025 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से नामांतरण हेतु रजिस्टर्ड विलेख पत्र की छायाप्रति, खसरा नकल सहित आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण विचाराधीन है तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति लिखित में आपत्ति मय दस्तावेज पेशी दिनांक तक इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। यह इश्तहार न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक -05/12/25
पेशी दिनांक-21/12/25
मुद्रा
अतिरिक्त तहसीलदार
आधारताल जबलपुर

आम सूचना

सर्वसाधारण को मैं अपने पक्षकारगण श्रीमती रमा सराफ बेवा दानवीर, अर्चित सराफ, आदित्य सराफ पिता स्व. दानवीर, कु. सुमन पिता बाल मुकुन्द, राकेश कुमार सोनी, सुमन सोनी पिता बालमुकुंद, किरण सराफ बेवा मनोज, शुभम सराफ पिता स्व. मनोज, अनूप कुमार पिता बल्लभदास की तरफ से अधिकृत होकर सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकारगण के स्वामित्व व खास कब्जा दखल अधिकार मालकना हक की भूमि मौजा सूखा पटवारी हल्का सूखा 00126 तहसील पनागर, जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 143 रकवा 0.020 हे., खसरा नं. 142 रकवा 0.010 हे., खसरा नं. 141 रकवा 0.010 हे., खसरा नं. 144 रकवा 0.010 हे. भूमि है जो मेरे पक्षकारगण के नाम पर भू. स्वामी हक में भू. राजस्व अभिलेखों पर दर्ज है और मेरे पक्षकारगण निर्विवाद रूप से निरंतर उक्त भूमि के मालिक काबिज चले आ रहे है मेरे पक्षकारगण द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त सम्पत्ति को विक्रय किया जा रहा है यदि उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति, शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग/बैंक वित्तीय संस्थान का कोई भी स्वत्व अथवा आपत्ति दावा हो तो वह इस आम सूचना प्रकाशन तारीख से 10 दिवस की समयावधि के भीतर अपनी आपत्ति दावा मय दस्तावेजी प्रमाण सहित मेरे निम्न पते पर प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि पश्चात् की गई आपत्ति दावा मान्य नहीं होगा और मेरा पक्षकार संभावित इच्छुक खरीददार के पक्ष में रजि. बैनामा कर देवेगा।

भवदीय
(एडवोकेट)
लवकुश शुक्ला मो - 9755876287
अनूप कुमार सराफ मो - 9300067675
कार्या. पता - नेपियर टाउन जबलपुर (म.प्र.)

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार आम जनता को यह सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पक्षकार श्री घनश्याम कोष्टा पिता श्री काशीराम कोष्टा के द्वारा आवासीय उपयोग की संपत्ति मौजा जबलपुर, गोविंद वल्लभ पंत वार्ड (उत्तर मिलोनीगंज वार्ड) तहसील और जिला जबलपुर में स्थित दो मंजिला मकान संपत्ति नजूल लीज ब्लॉक क्रमांक 17 का हिस्सा, नजूल लीज प्लॉट क्रमांक 20/2-ए का हिस्सा म्यूटेशन के बाद नजूल प्लॉट क्रमांक 20/2-बी, नगर निगम मकान क्रमांक 1162 (पुराना मकान क्रमांक 209), कुल मकान क्षेत्रफल 498 वर्ग फुट यानी 46.28 वर्ग मीटर है उक्त संपत्ति श्री घनश्याम कोष्टा पिता श्री काशीराम कोष्टा को हकत्याग पत्र दिनांक 12/10/2018 ई पंजीयन क्रमांक MP182542018A1694473 के माध्यम से श्रीमती सरस्वती देवी कोष्टा पत्नी श्री काशीराम कोष्टा, श्रीमती मीरा कोष्टा एवं श्रीमती दुर्गा कोष्टा दोनों के पिता श्री काशीराम कोष्टा द्वारा प्राप्त हुई है।

यह कि श्री घनश्याम कोष्टा पिता श्री काशीराम कोष्टा द्वारा Capri Global Capital Ltd (CGCL) / Capri Global Housing Finance Ltd. (CGHFL) से उक्त संपत्ति बंधक कर ऋण प्राप्त किया जा रहा है जिसकी सुरक्षा हेतु श्री घनश्याम कोष्टा पिता श्री काशीराम कोष्टा द्वारा उक्त संपत्ति बैंक में बंधक किया जा रहा है उक्त संपत्ति पर पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 12/10/2018 ई पंजीयन क्रमांक MP182542018A1694473 को बैंक में जमा कर साम्यिक बंधक किया जा रहा है अत: जिस किसी व्यक्ति बैंक, संस्था बैंक आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो अथवा किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो वह प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर मेरे पक्षकार Capri Global Capital Ltd (CGCL) / Capri Global Housing Finance Ltd. (CGHFL) को अथवा मेरे कार्यालय में लिखित रूप में मय दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, समय उपरांत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

जबलपुर
दिनांक :- 05/12/2025

भवदीय
राजेश प्यासी एडवोकेट
319, गली नं. 05, त्रिमूर्ति नगर,
दमोहनाका जबलपुर मो.-9424320068

खंड-1

मध्यप्रदेश शासन कार्यालय वनमण्डल अधिकारी उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट (म. प्र.)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या /09/ ई-टेंडरिंग/2025-26 बालाघाट, दिनांक 03/12/2025

1. वनमण्डल अधिकारी उत्तर सा. वनमण्डल बालाघाट द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) के अंतर्गत निम्न लिखित निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का विवरण	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1.	उत्तर सा. वनमण्डल बालाघाट के अंतर्गत वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु 07 परिक्षेत्रों में मासिक किराये पर गश्ती वाहन (Bolero/Scorpio) रखने हेतु (Without Fuel)	₹63,000/-	1000/- Tax extra

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल एवं विभागीय बेवसाईड www.mpforest.gov.in पर निशुल्क देखे और डाउनलोड किये जा सकते है।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट / डेबिट/ कैश कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 03/12/2025 बजे 10:00 PM से दिनांक 17/12/2025, बजे 11:00 AM तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्तवपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक -------समय------ - को उप वनमण्डल कार्यालय उकवा (सा.) उप वनमण्डल बालाघाट में आयोजित की जायेगी जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले सकते है। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होगें जिन्होने ई-टेंडर फॉर्म खरीदे है।
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्विपत्र / परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल : https://www.mptenders.gov.in

जी-22309/25 **बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल**
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर सा. वनण्डल बालाघाट

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम | Union Bank of India A Government of India Undertaking
अधारताल शाखा: एनआर. नर्सिंग होम, मेनरोड अधारताल, जबलपुर, म.प्र. 482001
Email:ubin0566608@unionbankofindia.bank

कब्जे की सूचना अनुसूची 6 (नियम-8(1))

अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 3 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणधारी/जमानतदार को ब्याज राशि सहित नोटिस प्राप्ति की के दिनांक से 60 दिन की समयावधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। ऋणग्रहिता/जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम (9) के साथ पढ़ा जाये एतस्मिन नीचे वर्णित संपत्यिों का आधिपत्य कर लिया है। ऋणग्रहिता /जमानतदार को विशिश्टतः और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्न वर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। और संपति के साथ कोई व्यवहार निम्नवर्णित राशि एवं उस पर ब्याज तथा अन्य प्रभार आदि के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की निम्नलिखित शाखाओं के प्रभार के अनुसार अधीन होगा।

ऋणी का नाम	ऋणी की संपत्ति का विवरण	मांग सूचना पत्र तिथि / अधिग्रहण दिनांक	बकाया राशि (मांग सूचना पत्र के अनुसार)
स्व. श्री रविकांत अग्रवाल, की मृत्यु उपरांत संपत्ति के कानूनी वारिस श्रीमति कविता अग्रवाल एवं श्री अंकुश अग्रवाल एवं अन्य	मौजा खजरी में स्थित प्लॉट – खसरा संख्या 315, म्यूटेशन के बाद खसरा संख्या पी–II, खं.सं.–315, खसरा एन.बी.नंबर 569, प.ह. नंबर 24, आर आई सर्कल महाराजपुर, मौजा–अमखेरा, तहसील–पनागर, जिला जबलपुर, म.प्र.–482002, क्षेत्रफल –0.740 हे. **संपत्ति की सीमाएँ: उत्तर** – वेन्डर की भूमि, **दक्षिण**– साइड सड़क, **पूर्व** – साइड सड़क, पश्चिम – तलत नदीम की भूमि	12.02.2025 / 04.12.2025	रू. 9,06,816.80 +ब्याज+विधिक व्यय एवं अन्य खर्चे
श्रीमती रबिया बेगम पत्नी शब्बीर अंसारी और श्री हसरत अंसारी	मौजा गोहलपुर में स्थित प्लॉट के सभी भू–भाग एनबी नं. 601, पीसी नं. 24/2, आरआई सर्कल जबलपुर – 1, ख.नं.–201/3,म्यूटेशन के बाद खसरा नंबर का हिस्सा 201/6, डायवर्जन खसरा संख्या नं. 206/1, प्लाट नं. 35, का क्षेत्रफल 840 हे., मकान नं. 307/9, ए. आर, चितरंजन वार्ड, तह. एवं जिला जबलपुर, म.प्र. 482004, **संपत्ति की सीमाएँ: उत्तर** – प्लॉट नं. 36, **दक्षिण**– प्लॉट नं. 34, **पूर्व**– साईड रोड, पश्चिम – पडोसी की संपत्ति	30.05.2025 / 04.12.2025	रू. 14,10,526.11 +ब्याज+विधिक व्यय एवं अन्य खर्चे

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
स्थानः जबलपुर, दिनांकः 05.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंड़िया

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना खण्ड क्रमांक-2
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, जल विहार कालोनी, कोलार रोड, भोपाल (ई-मेल : eephedep2bpl@mp.gov.in)
क्र. 124, 125, 126, 127ख128, 129, 130, 131/का.यं./रा.परि.खण्ड-2/लोस्वायांवि/ दिनांक-02/12/2025

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य की निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति से ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित है। निविदा की विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (रू.लाख में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	2025_PHED_465624	Cleaning and De silting work of Wet well and PTU bt Habibganj Sewage Pump House, Bhopal	6,74,207=00	13,484=00	2,000=00	30 Days, Including rainy season
2.	2025_PHED_465625	Cleaning and de siting work of Collection chamber, PTU and Wet well, along with sewage line and manholes at MLB SPH, Bhopal.	5,18,346=00	10,367=00	2,000=00	30 Days, Including rainy season
3.	2025_PHED_465626	Repairing and reconstruction of damaged manhole including Cleaning and de silting of anho and sewer line of 74 bungalows, Bhopal.	6,30,871=00	12,617=00	2,000=00	180 Days, Including rainy season
4.	2025_PHED_465627	Repairing of damaged manhole chamber with cleaning of manholes and sewer line at E-5, Arera colony. Section No. 2 Network Area Bhopal.	7,90,827=00	15,817=00	2,000=00	30 Days, Including rainy season
5.	2025_PHED_465628	Repairing and reconstruction of damaged manholes including Cleaning and de silting of manholes and sewer line of block no 86-90, 1250 tulsi Nagar, Bhopal.	6,73,464=00	13,469=00	2,000=00	30 Days, Including rainy season
6.	2025_PHED_465629	Repairing of damaged manhole chamber with cleaning of manholes and sewer line at E-4, Arera colony, Section No. 1 Network Area Bhopal.	7,57,461=00	15,149=00	2,000=00	30 Days, Including rainy season
7.	2025_PHED_465630	Cleaning and de silting work of Wet Well,Collection Chamber and PTU at New Sehore Naka SPH, Bhopal.	6,22,990=00	12,460=00	2,000=00	180 Days, Including rainy season
8.	2025_PHED_465632	Supply of Chromo flex Steel Sewer Cleaning rod 8 mm dia 0.80 meter long with male and female :adopter under Capital Project Sub, Div 5,6 and 8 Bhopal.	3,78,420=00	7,568=00	2,000=00	15 Days, Including rainy season

1. निविदा प्रपत्र की निर्धारित राशि एवं धरोहर राशि एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनाईन प्रस्तुत करने होगे एवं अन्य समस्त विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. निविदा संशोधन केवल वेबसाइट पर ही दर्शाया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। 3. निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि 17/12/2025 है।

कार्यपालन यंत्री
जी-22306/25 **स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता** **राजधानी परियोजना खण्ड क्रमांक-2 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग,भोपाल**